भीम

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

क्रमांक : प.17(3)धारा 144 / न्याय / 2022 / 1848 दिनांक : 8/4/2022

–: आदेश :–

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

यतः मुझे यह अवगत कराया गया कि जिला सवाई माधोपुर में विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलुस, प्रदर्शनी इत्यादि बिना पूर्व अनुमति के किये जा रहे है। जिला सवाई माधोपुर के प्रमुख मार्गों, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना प्रशासनिक अनुमति के विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलुस, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन करने से यातायात व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है, साथ ही जन सुरक्षा एवं लोक शान्ति भंग होने की भी पूर्ण संभावना रहती है।

उक्त परिस्थितियों में मेरा समाधान हो गया है एवं मै पूर्णतया संतुष्ट हूँ कि ऐसी परिस्थिति में जिला सवाई माधोपुर की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हैं।

अतः मैं **सुरेश कुमार ओला, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत **जिला सवाई माधोपुर की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर** जन सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से निम्न आदेश देता हूँ कि:–

1. जिला सवाई माधोपुर की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलुस, प्रदर्शनी व भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
2. जिला सवाई माधोपुर की समस्त सीमाओं के भीतर विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलुस, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मै जिला सवाई माधोपुर के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188, 269, 270 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि समयाभाव के कारण यह संभव नहीं हैं कि उक्त आदेश प्रत्येक व्यक्ति को अलग–अलग सूचित किया जावे एवं प्रत्येक को अलग–अलग नोटिस जारी कर तामील करवाया जावे। अतः यह आदेश एक तरफा प्रसारित किया जाता हैं।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया, जो **31.05.2022** तक प्रभावशील रहेगा।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

क्रमांक : प.17(3)धारा 144/न्याय/2022/ 1849-88 दिनांक : 8/4/22

प्रतिलिपि : **निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट..................................
5. जिला पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक....................................
7. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाई माधोपुर
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी जोन भरतपुर।
10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर/ चौथ का बरवाडा/खण्डार/मलारना डूंगर/बौंली/गंगापुर सिटी/वजीरपुर/बामनवास को प्रेषित कर लेख है कि अनुमति जारी करने से पूर्व कानून एवं शांति व्यवस्था तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन को दृष्टिगत रखते हुए अनुमति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।
11. तहसीलदार सवाई माधोपुर/चौथ का बरवाडा/खण्डार/मलारना डूंगर/बौंली/गंगापुर सिटी/वजीरपुर/बामनवास/मित्रपुरा
12. समस्त नायब तहसीलदार ....
13. आयुक्त नगर परिषद् सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी
14. प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष
15. उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, स० मा० को व्यापक प्रसार-प्रचार हेतु।
16. अति. निजी सचिव, जिला मजिस्ट्रेट/निजी सहायक अति. जिला मजिस्ट्रेट स.मा.

20 ....

जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner